न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 51/2016

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री विनोद यादव पुत्र श्री देशराम यादव (विक्रेता मालिक व मैनेजर) मैसर्स श्री एम.बी. डेयरी, एनएच 11, सातलेरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर । निवासी रघुनाथपुरा, पोस्त हमीदपुर, तहसील नारनोल, जिला महेन्द्रगढ़(हरियाणा)

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से – श्री महमूद अली, खाध सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी की ओर से – श्री ओमप्रकाश जाखड़ अधिवक्ता

: निर्णय : दिनांक 18.10..2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 12.03.2016 को अप्रार्थीपक्ष श्री विनोद यादव पुत्र देशराम यादव (विक्रेता मालिक व मैनेजर) मैसर्स श्री एम.बी.डेयरी, एन.एच.,11, सातलेरा, तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के यहां डेयरी का निरीक्षण दौरान एक एल्युमिनियम की टंकी में लगभगं 15 लीटर गाय का दूध आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त गाय का दूध में से हिलामिला एकरूप कर 2 लीटर नमूना संग्रह हेतु 60 रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त दूध को चार बराबर–बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी एवं खाली बोतलों में डाला एवं प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंदे फॉर्मिलिन की डालकर, इन चारों नमूना बोतलों को ढ़क्कन से एयर टाईट बंद किया। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर कोड एवं क्रमांक एबी–691 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया तथा प्रत्येक नमूने बोतलों को नियमानुसार चपड़ी से सीलबन्द एवं मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किया। उक्त सीलबन्द बोतलों में से एक सीलबन्द बोतल मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 30.03.2016 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई, जिसमें गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा गाय का दूध

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

सबस्टेण्डर्ड स्तर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर श्री ओमप्रकाश जाखड़ ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। तद्न्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से गाय के दूध का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Milk fat % Min.=8.5% की तुलना में 3.0% प्रतिशत का पाया गया है, जो निर्धारित मानक से कम है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह भी निवेदन किया है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने परिवाद के बिन्दुओं को अस्वीकार कर अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे बहस में कथन किया कि प्रार्थी के बताये गये पते पर अप्रार्थी किसी प्रकार कोई दुग्ध, दही का व्यापार संचालित नहीं करता है और ना ही कभी इस पते पर दुग्ध का व्यापार किया, बल्कि उक्त पते से अप्रार्थी अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु दुग्ध खरीद कर अपने घरेलू उपयोग के लिए लेता रहा है। प्रार्थी ने जानबूझ कर अप्रार्थी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। सबस्टेण्डर्ड मिल्क फेट जो कि गाय के दुग्ध की न्यूनतम 3.5 प्रतिशत होना चाहिए, जो उक्त गाय के दुग्ध में 3.0 प्रतिशत है जो कि निर्धारित स्टेण्डर्ड से कम है। इस पर जलवायु व प्रकृति के अनुसार व गाय की नस्ल के अनुसार 3.5 प्रतिशत से कम ज्यादा होने की संभावना रहती है। विदेशी नस्ल के गायों की सबस्टेण्डर्ड 3.5 प्रतिशत से कम रहती है। पशुओं के खान–पान व मौसम परिवर्तन होने पर गाय के दुग्ध के फेट की सबस्टेण्डर्ड फेट से कम आने की पूरी संभावना रहती है। विदेशी नस्ल की गाय बीमार हो जाती है या खानपान सही नहीं मिलता है तो उस स्थिति में फेट की मात्रा सबस्टेण्डर्ड से कम हो जाती है, ऐसी स्थिति में प्रकृति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में मात्र 0.5 प्रतिशत कम स्टेण्डर्ड आंकलन कर अप्रार्थी के खिलाफ जो आरोप विरचित किये गये है वो गलत तरीके से किये गये है। इनको रिहायत दी जानी चाहिए, मगर जांच अधिकारी ने बिना तथ्य व अप्रार्थी को सुने बगैर जिस तरह से अप्रार्थी के विरूद्ध आरोप लगा कर परिवाद प्रस्तुत किये है वह कानून व नियमों की अनदेखी कर पेश किया गया है, जो हर प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी की कभी किसी प्रकार की कोई कोताई नहीं रही

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

है और ना ही किसी प्रकार का दुग्ध का व्यापार किया है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है। इस कारण अप्रार्थी से किसी प्रकार का कोई जुर्माना प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 सपठित नियम व विनियम 2011 को सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थी के साथ न्याय प्रदान करें।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिर्पोट क्रमांक एलएस/591/एक्ट/2016/1193 दिनांक 30.03.2016 संलग्न है। इस रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया दूध Milk fat percentage Min.=3.5 % की तुलना में 3.0% का पाया गया है, जो निर्धारित मानक से कम होने के.कारण सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थीया द्वारा सबस्टेण्डर्ड का दूध विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है।

6. अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थीया के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रूपये **30,000/-** **(अखरे रूपये तीस हजार मात्र)** की शास्ति आरोपित करते है।

7. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा.),बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर